उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-512/2025/264 के-2/22-3-2025-17(443)/2025

लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल उर्फ छोटे जाटव (बन्दी संख्या-27692) पुत्र श्री जिलेदार, निवासी-बरहीपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-इटावा जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-139/2010 व 106/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 14-07-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 17-01-2025 तक 14 वर्ष, 10 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगने तथा जेल आचरण सन्तोषजनक होने के दृष्टिगत बन्दी को उ0प्र0 जेल मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में कारागार में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो जिला मजिस्ट्रेट, इटावा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in